भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2808
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **किसान कल्याण पहल**

2808. श्री नवीन जिंदलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान समर्थन मूल्य अवसंरचना की प्रभावकारिता और वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले किसानों का वास्तविक प्रतिशत क्या है;

(ख) कृषि संकट से निपटने के लिए की गई पहलों, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों का (राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार) वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, पहचान किए गए प्रमुख कारणों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की पर्याप्तता क्या है;

(ग) किसानों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और न्यूनतम निर्धारित मजदूरी की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान आय के स्तर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिचौलियों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसानों के लिए आसान ऋण की उपलब्धता कितनी है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि ऋण नीति में ऋण माफी अथवा संरचनात्मक सुधारों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार, प्रत्येक वर्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों को ध्यान में रखते हुए, देश भर के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना स्तर पर रखने का पूर्व-निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल वाली सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य सहायता बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आशा योजना (पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता वाले तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद, राज्य की मांग के अनुसार इन उत्पादों के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाने पर की जाती है। सरकार द्वारा कपास और जूट की खरीद भी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी के अनुसार की गई है। हालांकि, किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों को या खुले बाजार में जो भी उनके लिए लाभप्रद हो को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि और लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख करोड़ में)	लाभान्वित किसानों की संख्या (करोड़ में)
2021-22	2.25	1.63
2022-23	2.47	1.68
2023-24	2.63	1.52
2024-25	3.47	1.96
2025-26 (फरवरी, 2026 तक)*	2.27	1.44

* वर्ष 2025-26 के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है।

(ख) एवं (ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी रिपोर्ट 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। यह रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें जैसे उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करना और किसानों को आय सहायता देना आदि नीचे दी गई हैं।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयलपाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
25. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
26. कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम)
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन समय-समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संचालित "कृषि

परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018-जून 2019 के संदर्भ में किए गए नवीनतम एनएसएस सर्वेक्षण के 77वें दौरे (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 रुपये अनुमानित है। आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के निष्कर्षों के अनुसार कृषि परिवारों की स्थिति, कृषि वर्ष 2012-13 में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10,218 रुपये हो गई है, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

(घ): सरकार संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक पूर्णतः केंद्र वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (आईएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्रदान करके कृषि ऋण को किफायती बनाना है। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रभावी और सुगम ऋण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ग्राउन्ड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को वितरित किए गए ग्राउन्ड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) की कुल राशि का विवरण इस प्रकार है:

(मूल्य लाख करोड़ में)

क्रम सं.	**वर्ष**	**वितरित धनराशि**
1.	2022-23	21.55
2.	2023-24	25.49
3.	2024-25	28.67

(डाटा स्रोत: नाबार्ड)

******